1-4-25 पत्रावली पेश हुयी। वादी वजुलाय उप० रहे। पेशकार सरकार तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पेशकार रिपोर्ट पर मनन किया गया। उक्तानुसार दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त दुरूस्ती हेतु विधिक प्रपत्र से लिखाया जाकर शामिल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 118	04.03.2025	01.04.2025

उनवान

01. जुम्मी पुत्री छोटेलाल जाति मेघवाल निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर

.... प्रार्थीया

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थीया जुम्मी पुत्री छोटेलाल जाति मेघवाल निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी गत खसरा नं0 559 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.63 हे0 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है, जो इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है जो आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित की जावेगी। विवादित आराजी प्रार्थीया के पिता छोटेलाल की आराजी है। जो प्रार्थीया को अपने पिता छोटेलाल पुत्र ठाकरसी के स्वर्गवारा के उपरान्त विरासत में प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2042 से स्पष्ट है। प्रार्थीया अपने पिता की आराजी पर काबिजं रहकर काश्त करती चली आ रही है। और आज भी काबिज है। प्रार्थीया के साबिक रिकार्ड भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) सम्वत 2014 में बुजुर्गान छोटेलाल पुत्र ठाकरसी कौम चमार सा0 रामगढ मु0 6 साल दर्ज रिकार्ड है। तथा इन्तकाल सं0 972 दिनांक 04.02.2019 जो डिकी आदेश कमांक भू0अ0 / 2019 / 196 दिनांक 14.01.19 के तहत दर्ज किया गया उसमें जुम्मी पुत्री छोटेलाल चमार सा0 रामगढ खातेदार साल 41 दर्ज किया गया है जो गलत है। क्योकि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार डिकी के अनुसार प्राप्त हो गये। लेकिन उसके बाद की जमाबन्दी बनाते समय अ.वि.व. 41 साल दर्ज कर रखा है जो आज तक प्रार्थीया के नाम के आगे दर्ज चला आ रहा है। जो गलत है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के समर्थन में साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 10.01.2019 की नकले संलग्न कर प्रस्तुत है। प्रार्थीया के नाम के आगे राजस्व रिकार्ड में अ.वि.व 41 साल गलत नाम दर्ज रहने से प्रार्थीया को किसी भी सरकारी व गैरसरकारी योजना का लाभ नही मिल रहा है। प्रार्थीया हाल राजस्व रिकार्ड से अ.वि.व. 41 साल को दुरूस्त करवाने की कानूनन अधिकारी है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र कमांक रा.म. / Dilrmp / प–126 / 2021 / 3685 दिनांक 06.10.2021 में सैप्रीगेशन कार्य के दौरान सहवन से हुए गलतियों को सही करने हेतु निर्देश प्रदान करने के सम्बन्ध में

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

गये कि जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि होने से शुद्वि किये जाने का राजस्थान भू0 राजस्व (भू0अ0)
7 में प्रावधान है, अतः उक्त जमाबन्दियों में शुद्वि राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा
तहत कार्यवाही भी की जा सकती है। प्रार्थीया ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाईन
निकलवाई तो पता चला कि प्रार्थी के नाम जमाबन्दी में अ.वि.व. 41 साल दर्ज हो रहा है। जिससे
के हकूक जायल हो रहे है। प्रार्थीया को सरकारी व गैरसरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना
हा है। इसलिए मिन प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र दुरूस्ती कराने की मजामहत पैदा हुई जो अन्दर अवधि
त है। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज अ.वि.व 41 साल को दुरूस्त कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र
सीलदार रामगढ के यहां प्रस्तुत किया। जिसमें तहसीलदार द्वारा साफ मना कर दिया गया कि हम किसी
त्रुटि को दुरूस्त नही कर सकते। आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये उसके बाद ही हम दुरूस्त
र सकते है। निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी गत खसरा नं0 559
कबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.63 हे0 वाके ग्राम पूठी तहसील
ामगढ जिला अलवर राजस्थान में प्रार्थीया के नाम के आगे गलत इन्द्राज अ.वि.व. 41 साल को हटाये जाने
के आदेश सादर फरमाये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है वाके ग्राम पूठी के आराजी खसरा नं0 857 रकबा 0.63 हे0 जुम्मी पुत्री छोटेलाल हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा0 रामगढ खातेदार अ.वि.व साल 41 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया के द्वारा जमाबन्दी के उक्त इन्द्राज मे से अ.वि.व साल 41 को हटवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थीया वर्तमान में खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः जमाबन्दी में अ.वि.व साल 41 का कोई औचित्य नही है, नियमानुसार खाते में से अ.वि.व साल 41 को हटाया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीया आराजी गत खसरा नं0 559 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.63 हे0 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान मे प्रार्थीया के नाम के आगे गलत इन्द्राज अ.वि.व. 41 साल को हटाया उचित प्रतित होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार आराजी गत खसरा नं0 559 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.63 हे0 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान में प्रार्थीया के नाम के आगे गलत इन्द्राज अ.वि.व. 41 साल को हटाया उचित प्रतित होता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थीया के नाम के आगे गलत इन्द्राज अ.वि.व. 41 साल को हटाया जाकर दुरूस्त किया जावे। उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहगकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामग[redacted]लवर